>

Title: Issue of alleged irregularities in the offices under Director General of Civil Aviation.

श्री अशोक अर्गल (भिंड): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और अधिकारियों द्वारा 28 फ्लाइंग क्लबों के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र करके सरकार को करोड़ों रुपए का घाटा कराए जाने के बारे में कहना चाहता हूं। भारतीय विमानन प्राधिकरण द्वारा 2007 में नियम बनाया कि एजुकेशनल सोसाइटी में रजिस्टर्ड और बिना लाभ-नुकसान के रूप में संचालित फ्लाइंग क्लबों को मात्र दस प्रतिशत प्रभार देना होगा। इस हेतु नागर विमानन निदेशालय ने फ्लाइंग क्लबों की सूची मांगी, जो कि लाभ लेने हेतु बनाए गए मानदंडों को पूरा करती थी। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा 28 फ्लाइंग क्लबों की सूची बनाकर भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को भेजी गई। यह सूची उप-महानिदेशक के अनुमोदन से बनाई गई। अवैध लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बनाई गई इस 28 फ्लाइंग क्लबों की सूची में कोई भी एजुकेशनल सोसाइटी के रूप में पंजीकृत नहीं था। नागर विमानन निदेशालय के उपमहानिदेशक द्वारा दी गई गलत सूची से सरकार को अनुमानित 190 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले की पूरी तरह से जांच कराए। उपाध्यक्ष जी, आपको मालूम है कि इस सरकार के कई विभागों में घोटाले हुए हैं। मुझे इस प्रकरण में भी घोटाला नजर आ रहा है। इसलिए इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए और जो दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।